20 अप्रैल, 2018 को अनिता जॉब बनाम केरल राज्य

बेंचः ए भूषण, ए सीकरी

भारत के सर्वोच्य न्यायालय में सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार
2018 की सिविल अपील संख्या 3874
(2018 की एसएलपी (सी) संख्या 3869 से उत्पन्न

अनिता जॉब और ओआरएस। ..... अपीलार्थी

बनाम

केरल राज्य और अन्य। ..... प्रत्यर्थी

अशोक भूषण , न्यायमूर्ति द्वारा निर्णय पारित किया गया

1. अपीलकर्ताओं, जिनकी संख्या दस है, ने केरल उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के दिनांक 01.01.2008 के फैसले के खिलाफ यह अपील दायर की है, जिसके द्वारा प्रवेश पर्यवेक्षी समिति के दिनांक 03.06.2017 के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी रिट याचिका खारिज कर दी गई है।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य जिन्हें इस अपील पर निर्णय लेने के लिए घ्यान देने की आवश्यकता हैः

मालाबार मेडिकल कॉलेज और रिसर्च सेंटर के पास एमबीबीएस पाठयक्रम में प्रवेश हेतु 150 छात्रों की स्वीकृत क्षमता है।

2016 –2017 से एमबीबीएस पाठय्रक्रम में प्रवेश एनईईटी परीक्षा के आधार पर आयोजित किया जाना था। इस न्यायालय ने **संकल्प चेरिटेबल ट्रस्ट और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, (2016) 7 एससीसी 487** में पारित अपने आदेश दिनांक 06.05.2016 के तहत निर्देश दिया है कि एसबीबीएस या बीडीएस अध्ययन में प्रवेश के लिए किसी भी परीक्षा को आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। निजी कॉलेज या एसोसिएशन या कोई निजी / मानित विश्वविधालय। एमबीबीएस पाठयक्रम में सभी प्रवेश राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा, एनईईटी के आधार पर किए जाने थे। सभी अपीलकर्ता एनईईटी परीक्षा में उपस्थित हुए और अपने अपने रैंक के साथ योग्य घोषित किए गए। केरल राज्य ने निजी/स्ववित्तपोषित कॉलेजों में सरकारी /प्रबंधन/एनआरआई सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न सरकारी आदेश जारी किए है। केरल सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, प्रवेश परीक्षा आयुक्त सभी निजी/स्ववित्तपोषित कॉलेजों में सरकारी प्रबंधन /एनआरआई सीटों में एमबीबीएस के लिए आवंटन करेगा।

3. सरकारी आदेशों को चुनौती देते हुए विभिन्न मेडिकल कॉलेजों द्वारा रिट याचिकाएं दायर की गई। केरल उच्च न्यायालय ने 26.08.2016 को रिट याचिकाओं के एक समूह में , जिसमें 2016 की प्रमुख रिट याचिका संख्या 28041 थी, एमबीबीएस /बीडीएस पाठयक्रमों में प्रवेश से संबंधित कुछ निर्देशों के साथ केरल राज्य द्वारा जारी आदेशों पर रोक लगा दी। मालाबार मेडिकल कॉलेज (इसके बाद कॉलेज के रूप में संदर्भित) ने प्रवेश पर्यवेक्षी समिति (इसके बाद एएससी के रूप में संदर्भित) को एक प्रॉस्पेक्टस प्रस्तुत किया और इसे 06.09.2016 को मंजूरी दे दी। केरल उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 26.08.2016 के पारित आदेश के अनुसार और एएससी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, प्रवेश के लिए आवेदन ऑनलाईन किए जाने थे। प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन जमा

करने की अंतिम तिथि 09.09.2016 थी। संबंधित कॉलेजों को ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की सूची प्रकाशित करने का भी निर्देश दिया गया ताकि एएससी पूरी प्रवेश प्रक्रिया की निगरानी और मार्गदर्शन कर सके।

4. अपीलकर्ताओं का मामला यह है कि हालांकि उन्होंने 09.09.2016 से पहले प्रवेश के लिए शुल्क से संबंधित बैंको से डिमांड ड्राफ्ट प्राप्त कर लिया था, लेकिन कॉलेज की वेबसाइट में कुछ खराबी के कारण उनके ऑनलाइन आवेदन जमा नहीं किए जा सके। 13.09.2016 को कॉलेज ने 1335 उम्मीदवारों की एक सूची प्रकाशित की जिसमें अपीलकर्ताओं के नाम नहीं थे। कुछ अन्य उम्मीदवार जिनके नाम सूची में शामिल नहीं थे , उन्होंने एएससी के समक्ष शिकायत दर्ज कराई। एएससी ने शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए 22.09.2016 को एक आदेश जारी किया जिसमें कॉलेज के रूख पर ध्यान दिया गया कि उनके नाम योग्य उम्मीदवारों की सूची में शामिल किए जाएंगे। दिनांक 22.09.2016 को उक्त आदेश प्राप्त होने के बाद कॉलेज द्वारा 23.09.2016 को अपनी बेवसाइट पर एक नोटिस भी जारी किया गया था।

5. दिनांक 23.09.2016 के नोटिस में छात्रों को बताया गया था कि (i) पंजीकरण के लिए उनके असफल प्रयासों और (ii) निर्धारित कट ऑफ तिथि से पहले लिए गए डिमांड ड्राफ्ट के प्रमाण के साथ उन सभी के आवेदन कॉलेज द्वारा स्वीकार किए जाएंगे। कॉलेज द्वारा 23.09.2016 के नोटिस के अनुसरण में अपीलकर्ताओं ने सबूत के साथ अपने आवेदन प्रस्तुत किए कि डिमांड ड्राफ्ट निर्धारित कट ऑफ तिथि से पहले ले किए गए थे। कॉलेज द्वारा 27.09.2016 को 33 पात्र छात्रों की पूरक सूची प्रकाशित की गई थी जिसमें सभी अपीलकर्ताओ के नाम शामिल थे। कॉलेज ने पहले प्रबंधन कोटा/एनआईआई कोटा में प्रवेश के लिए प्रयास किए थे लेकिन सीटें नहीं भर सकीं।

6. 28.09.2016 को , अपीलकर्ताओं को कॉलेज द्वारा प्रवेश दिया गया और 30.09.2016 को , अपीलकर्ताओं के नाम सहित 142 छात्रों की सूची केरल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविधालय के साथ पंजीकृत की गई। प्रबंधन /एनआइआई कोर्ट की आठ सीटें जो खाली रह गई थीं, उन्हें सरकार को सौंप दिया गया और दिनांक 05.10.2016 के आदेश के आधार , प्रवेश परीक्षा आयुक्त द्वारा 8 उम्मीदवारों को कॉलेज में भेज दिया गया, जिन्हें कॉलेज द्वारा प्रवेश भी दे दिया गया। अपने प्रवेश के बाद, अपीलकर्ताओं ने अपनी कक्षाओं में भाग लेना शुरू कर दिया, कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट /एनआरआई कोटा लिए गए प्रवेश का विवरण एएससी को भेज दिया गया। एएससी ने दिनांक 04.03.2017 के आदेश से कॉलेज द्वारा प्रबंधन कोटा के तहत 78 उम्मीदवारों और एनआरआई कोटा के तहत 8 उम्मीदवारों के प्रवेश रोक दिए। 05.10.2016 को, प्रबंधन ने पहले ही अपीलकर्ताओं के प्रवेश सहित सभी प्रवेशों का विवरण एएससी को भेज दिया था। एएससी ने दिनांक 03.06.2017 के आदेश द्वारा प्रबंधन कोटा में कॉलेज में दाखिल लेने वाले चार उम्मीदवारों के मामले को इस आधार पर खारिज कर दिया कि उनके नाम मेडिकल कॉलेज द्वारा प्रकाशित सूची से बाहर हैं और छह अपीलकर्ताओं के संबंध में जिन्हें प्रवेश दिया गया है एनआरआई कोटा के तहत , उनके प्रवेश अस्वीकृत कर दिए गए क्योंकि उन्हें मेडिकल कॉलेज द्वारा प्रस्तुत किसी भी ऑनलाइन आवेदन सूची में शामिल नहीं किया गया है।

7. फिर दिनांक 03.06.2017 के आदेश से व्यथित होकर, अपीलकर्ताओं ने 2017 की रिट याचिका (सी) संख्या 24133 दायर की , जिसमें 27.07.2017 को एक अंतरिम आदेश पारित किया गया, जिसमें अपीलकर्ताओं को प्रथम वर्ष की एमबीबीएस परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दी गई। रिट याचिका को अंततः केरल उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने अपने फैसले दिनांक 04.01.2018 द्वारा खारिज कर दिया, जिसके खिलाफ यह अपील दायर की गई है।

8. इस न्यायालय में 16.02.2018 के अपील पर विचार करते हुए निर्देश दिया कि इस बीच , उच्च न्यायालय के समक्ष रिट कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान पारित अंतरिम आदेश लागू रहेगा।

9. हमने अपीलकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री हुजेफा अहमदी और प्रवेश पर्यवेक्षी समिति की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री जयदीप गुप्ता को सुना है। हमने केरल राज्य, केरल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविघालय के साथ – साथ मालाबार मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के वकील को भी सुना है।

10. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ताओं को एएससी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया और जारी निर्देशों के अनुसार कॉलेज द्वारा प्रवेश दिया गया था। यह प्रस्तुत किया गया है कि हालांकि अपीलकर्ता कट ऑफ तिथि , यानी 09.09.2016 से पहले ऑनलाइन आवेदन करने में असफल रहे थे, लेकिन जब 23.09.2016 को नोटिस प्रकाशित किया गया था, तो उन सभी आवेदकों को अनुमति दी गई थी, जो पहले डिमांड ड्राफ्ट के साथ ऑनलाइन आवेदन सफलतापूर्वक जमा नहीं कर सके थे। कट– ऑफ तिथि के अनुसार , उन्होंने नोटिस के अनुसरण में अपने आवेदन जमा किए और उन्हें 28.09.2016 को प्रवेश दिया गया। उनका कहना है कि मेडिकल कांउसिल ऑफ इंडिया द्वारा तय की गई और इस न्यायालय द्वारा अनुमोदित कट– ऑफ तारीख 30.09.2016 है और अपीलकर्ताओं के प्रवेश कट– ऑफ तारीख से पहले लिए गए है, इसलिए कोई अवैधता नही है। उन्होंने आगे कहा कि अपीलकर्ताओं का प्रवेश एनईईटी में उनकी रैंक के अनुसार किया गया था और अपीलकर्ताओं के प्रवेश के खिलाफ किसी भी उम्मीदवार या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई थी। एनईईटी में उच्च रैंक वाला कोई भी उम्मीदवार एएससी या किसी भी न्यायालय के समक्ष यह आरोप लगाकर नहीं आया है कि उसने कॉलेज में प्रवेश के लिए आवेदन किया था और उसकी रैंक अपीलकर्ताओं से अधिक थी। एनईईटी योग्यता के आधार पर अपीलकर्ता के प्रवेश में एएससी द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए था।

11. प्रतिवादी एएससी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री जयदीप गुप्ता ने कहा कि कॉलेज में प्रवेश के लिए आवेदन करने की एकमात्र विधि ऑनलाइन थी , ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रकाशित तिथि 09.09.2016 थी और माना जाता है कि अपीलकर्ताओं ने पहले अपने आवेदन जमा नहीं किए थे। 09.09.2016 और उनके नाम उस सूची में भी शामिल नहीं थे जो कॉलेज द्वारा योग्य उम्मीदवारों के लिए प्रकाशित की गई थी, वे स्पष्ट रूप से प्रवेश के हकदार नहीं थे और एएससी ने उनके प्रवेश को उचित रूप से अस्वीकार कर दिया था। आगे यह भी कहा गया है कि एएससी द्वारा जारी 22.09.2016 के आदेश का कॉलेज द्वारा लाभ नहीं उठाया जा सका, ताकि कॉलेज को उन उम्मीदवारों के अलावा अन्य लोगों के आवेदन पर विचार करने की अनुमति मिल सके , जिन्होंने अपने ऑनलाइन आवेदनों के संबंध में शिकायत की थी। कॉलेज अपीलकर्ताओं के आवेदनों पर विचार नहीं कर सका।

12. विश्वविधालय के विद्वान वकील के साथ साथ केरल राज्य के विद्वान वकील ने भी एएससी के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री जयदीप गुप्ता द्वारा दिए गए तर्को को अपनाया है प्रिसिपल के विद्वान वकील ने अपीलकर्ताओं के मामले का समर्थन किया और प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ताओं का प्रवेश उनकी एनईईटी रैंकिग के आधार पर उचित रूप से किया गया था।

13. हमने पक्षों के विद्वान वकील की दलीलों पर विचार किया है और अभिलेखों का अवलोकन किया है।

14. हमने पहले ही उपर देखा है कि केरल उच्च न्यायालय ने 26.08.2016 को अतंरिम आदेश पारित किया है जिसके तहत उच्च न्यायालय ने एमबीबीएस/बीडीएस पाठयक्रम 2016 – 2017 में प्रवेश के संबंध में कुछ निर्देश जारी किए है। इस संदर्भ में प्रासंगिक निर्णय का पैराग्राफ 9 इस प्रकार है।

‘‘ 9. तदनुसार , विवादित आदेशों, जीओ (आरटी) संख्या 2314/2016/एच एंड एफडब्ल्यूडी दिनांक 20.08.2016 और जीओ (आरटी) संख्या 2336/2016/ एच एंड एफडब्ल्यूडी दिनांक 23.08.2016 के संचालन और कार्यान्वयन पर अंतरिम रोक रहेगी। निम्नलिखित शर्तो के अधीनः

(i) एमबीबीएस /बीडीएस पाठयक्रमों में प्रवेश केवल एनईईटी, 2016 की रैंक सूची में उम्मीदवारों की रैंकिग के आधार पर, संबंधित कॉलेजों में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के बीच परस्पर मेधा के आधार पर होगा।

(ii) सभी कॉलेज इस बात पर सहमत है कि , प्रवेश के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त किए जाते है, और , उक्त प्रक्रिया योग्यता के साथ साथ आवेदको की पहचान के संबंध में पारदर्शिता प्रदान करती है। इसलिए ऐसे आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि की समाप्ति पर तुरंत प्रवेश पर्यवेक्षी समिति की जांच के लिए अपलोड किए जाएंगे।

(iii) चूंकि प्रवेश पर्यवेक्षी समिति के वकील ने शिकायत की है कि कुछ कॉलेजों ने अपने प्रॉस्पेक्टस के लिए प्रवेश पर्यवेक्षी समिति की मंजूरी नहीं ली है, इसलिए प्रवेश प्रक्रिया केवल प्रॉस्पेक्टस के आधार पर ही आगे बढ़ाई जाएगी जिसे प्रवेश पर्यवेक्षक समिति की मंजूरी मिल गई है।

(iv) प्रवेश पर्यवेक्षी समिति को निर्देश दिया जाता है कि वह अनुमोदन के लिए उनके पास जमा किए गए प्रॉस्पेक्टस को ऐसी प्रस्तुति के तीन दिनों के भीतर स्वीकृत या अस्वीकृत कर दे।

15. यह प्रासंगिक है कि केरल उच्च न्यायालय के 26.08.2016 के अंतरिम आदेश के खिलाफ , भारत संध ने एक एसएलपी दायर की है जिसे इस न्यायालय ने 28.09.2016 को 2016 के सीएएन नं0 – 9862 में निपटाया था। इस न्यायालय ने केवल रदद् कर दिया शर्त संख्या 1 का वह भाग जिसमें संबंधित कॉलेजों को काउंसलिंग आयेाजित करने और योग्यता के बिना छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति है। हालांकि , इस न्यायालय ने विशेष रूप से देखा कि यह न्यायालय संबंधित कॉलेजों द्वारा किए गए छात्रों के प्रवेश में हस्तक्षेप नहीं कर रहा है क्योंकि वे राज्य सरकार के साथ समझौता करने के बाद किए गए थे। इस न्यायालय के दिनांक 28.09.2016 के आदेश के अंतिम दो पैराग्राफ इस प्रकार हैं

'' विद्वान सॉलिसिटर जनरल के साथ साथ उत्तरदातों के वकील द्वारा बताए गए उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, हम शर्त नंबर 1 के उस हिस्से को अलग रखते है जिसमें संबंधित कॉलेजों को काउंसलिग आयोजित करने और छात्रों को प्रवेश दिए बिना अनुमति दी जाती है।

इस मुददे् को अंततः उच्च न्यायालय द्वारा उन रिट याचिकाओं में निपटाया जाएगा जो उसके समक्ष लंबित हैं। हालांकि, हम संबंधित कॉलजों द्वारा किए गए छात्रों के प्रवेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं है क्योंकि ये राज्य सरकार के साथ समझौते के बाद किए गए है। इस संबंध में , आक्षेपित आदेश में उल्लिखित शर्ते लागू रहेंगी। उपरोक्त शर्तो के तहत अपील का निपटारा किया जाता है। ''

16. केरल उच्च न्यायालय के दिनांक 28.09.2016 के अंतरिम आदेश के अनुसार अपीलकर्ताओं का प्रवेश स्वीकार्य रूप से 28.09.2016 को पूरा हो गया था। इस प्रकार हमें केरल उच्च न्यायालय के निर्देशों और संबंधित तिथि पर लागू एएससी के निर्देशों के अनुसार प्रवेश पर विचार करना होगा।

17. एमबीबीएस पाठयक्रम में प्रवेश के लिए जो प्रक्रिया निर्धारित की गई थी, उस पर कोई विवाद नहीं हो सकता है, छात्रों को ऑनलाइन आवेदन करना था और ऐसे आवेदन करने की अंतिम तिथि 09.09.2016 थी। इसमें भी कोई विवाद नहीं है कि अपीलकर्ता 09.09.2016 से पहले कोई भी ऑनलाइन आवेदन करने में सफल नहीं हो सके, हालांकि उनका दावा है कि उन्होंने प्रवेश की अंतिम तिथि से पहले डिमांड ड्राफ्ट तैयार कर लिया था।

18. महाविघालय द्वारा दिनांक 13.09.2016 को प्रकाशित सभी पात्र अभ्यर्थियों की प्रवेश सूची में अपीलार्थियों के नाम सम्मिलित नहीं किये गये। यह रिकॉर्ड में आया है कि अपीलकर्ताओं ने एएससी द्वारा जारी आदेश दिनांक 22.09.2016 के अनुसरण में 23.09.2016 को कॉलेज द्वारा नोटिस के प्रकाशन के बाद ही कॉलेज में आवेदन किया था। एएससी ने 7 अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त शिकायतों पर दिनांक 22.09.2016 को आदेश जारी किया है कि उनका नाम मेडिकल कॉलेज के पात्र अभ्यर्थियों की प्रकाशित सूची में शामिल नहीं किया गया था। एएससी ने दिनांक 22.09.2016 को निम्नलिखित आदेश जारी किया:

1. '' आदेश सात शिकायतकर्ताओं से शिकायत प्राप्त हुई हैं, जिनमें आरोप लगाया गया है कि उनके नाम मालाबार मेडिकल कॉलेज , संक्षेप में मेडिकल कॉलेज की प्रकाशित पात्र सूची में शामिल नहीं हैं।

2. जब मामला उठाया गया, तो वकील देवप्रसाद उपस्थित थे और मेडिकल कॉलेज का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उक्त साथ शिकायतकर्ताओं को विवरण उन्हें सौंपा गया। उन्होंने मेडिकल कॉलेज से संपर्क करने के बाद कहा कि इस सात छात्रों का विवरण प्राप्त होने पर मेडिकल कॉलेज आवेदकों की पहले से प्रकाशित पात्र सूची के साथ उन्हें भी सूचीबद्व करेगा।

3. एलन फिलिप्स ने कोई आवेदन विवरण या अन्य विवरण नहीं दिया। इसलिए, उन्हें मेडिकल कॉलेज को सभी विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था, ताकि कॉलेज द्वारा उनके नाम पर भी विचार किया जा सके।

4. मेडिकल कॉलेज को नीट रैंक के साथ प्रबंधन और एनआरआई कोटा सूची अलग ने प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया है ताकि आवेदकों को उनकी रैंक और स्थिति जानने में मदद मिल सके। अस्वीकृत सूची, यदि कोई हो, भी प्रकाशित की जानी चाहिए।

5. मेडिकल कॉलेज एएससी द्वारा जारी निर्देशों , विशेष रूप से दिनांक 19.09.2016 के निर्देशों का पालन करेगा।

6. इस आदेश को मालाबार मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को ईमेल करें, और सभी शिकायतकर्ताओं की जानकारी के लिए एएससी की वेबसाइट पर जोडें, क्योकि एएससी कार्यालय से उन्हें कोई अलग संचार नहीं भेजा जाता है। इस पर दिनांक 22 सितंबर 2016 अंकित है।

19. उपरोक्त आदेश दिनांक 22.09.2016 के बाद महाविघालय ने अपनी वेबसाइट पर दिनांक 23.09.2016 को नोटिस जारी किया है, नोटिस का अंतिम पैराग्राफ इस प्रकार है:

'' जैसे कि (अस्पष्ट) प्रवेश पर्यवेक्षक इंजीनियर द्वारा निर्देशित किया गया है , हम कॉलेज कार्यालय में प्राप्त ऐसे सभी आवेदनों को पंजीकरण के लिए उनके असफल प्रयासों (अस्पष्ट) के साथ निर्धारित कट ऑफ तिथि से पहले लिए गए डीडी के साथ स्वीकार करने का वचन देते है। ये आवेदन होंगे (रिक्त सीटों के लिए अपठनीय)।''

20. एएससी का गठन केरल राज्य में एक राज्य अधिनियम के अनुसरण में किया गया है , अर्थात् केरल व्यावसायिक कॉलेज या संस्थान (कैपिटेशन शुल्क का निषेध, प्रवेश का विनियमन, गैर शोषक शुल्क का निर्धारण और समानता और उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए अन्य उपाय) व्यावसायिक शिक्षा अधिनियम, 2006 । अधिनियम के तहत, एएससी को गैर सहायता प्राप्त व्यावसायिक कॉलेजों या संस्थानों में छात्रों के प्रवेश की पूरी प्रक्रिया की निगरानी और मार्गदर्शन करना है। धारा 4 के उपखड (6) और (7) इस प्रकार हैं–

'' धारा 4. प्रवेश पयेवेक्षी समिति। (1)xxx xxx xxx (6) प्रवेश पर्यवेक्षी समिति गैर सहायता प्राप्त व्यावसायिक कॉलेजों या संस्थानों में छात्रों के प्रवेश की पूरी प्रक्रिया का पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रक्रिया निष्पक्ष , पारदर्शी , योग्यता आधारित और प्रावधानों के तहत कोई शोषणकारी नहीं है। इस अधिनियम का (7) प्रवेश पर्यवेक्षी समिति यहां निहित प्रावधानों के उल्लधंन में प्रवेश के संबंध में शिकायतों की सुनवाई कर सकती है। यदि प्रवेश पर्यवेक्षी समिति जांच के बाद पाती है कि गैर सहायता प्राप्त व्यावसायिक कॉलेजों या संस्थानों की ओर से प्रवेश के प्रावधानों का कोई उल्लंधन किया गया है , तो वह सरकार को दस लाख रूपये तक का जुर्माना लगाने के लिए उचित सिफारिश करेगी और सरकार कर सकती है। ऐसी सिफारिश प्राप्त होने पर , जुर्माना तय करें और ऐसे प्रत्येक उल्लंधन या किसी अन्य कार्यवाई के मामले में उसे वसूल करें जैसा वह उचित समझे और इस प्रकार तय की गई राशि उस पर व्याज के साथ इस तरह वसूल की जाएगी जैसे कि यह जनता का बकाया हो। भूमि पर देय राजस्व, प्रवेश पर्यवेक्षी समिति किसी विशेष कॉलेज या संस्थान में किसी या सभी सीटों के संबंध में किए गए प्रवेश को अयोग्य घोषित कर सकती है और इसलिए इसे अमान्य कर सकती है और संबंधित विश्वविघालय को इसकी सूचना दे रोक देगा और पहले से उपस्थित परीक्षाओं के परिणाम रदद् कर देगा।

21. दिनांक 22.09.2016 के आदेश को उपरोक्त वैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए एएससी द्वारा पारित माना जाना चाहिए। यह सही है कि दिनांक 22.09.2016 के आदेश में यह स्पष्ट निर्देश नहीं था कि जिन अन्य अभ्यर्थियों ने अभी तक शिकायत भी नहीं की है, उनके नाम शामिल किये जायें या कोई नये आवेदन आमंत्रित किये जायें, लेकिन महाविघालय ने उक्त आदेश से मार्गदर्शन प्राप्त करने हुए तिथि को आगे बढ़ाने का नोटिस जारी कर दिया। पंजीकरण के लिए अपने असफल प्रयासों के साथ आने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए समान सुरक्षा, लेकिन शर्त यह है कि उन्हें निर्धारित कट ऑफ तिथि से पहले डिमांड ड्राफ्ट के साथ आना होगा। निर्धारित कट ऑफ तिथि से पहले लिए गए डिमांड ड्राफ्ट की आवश्यकता एक महत्वपूर्ण कारक थी जिसने उन उम्मीदवारों को किसी भी नये डिमांड ड्राफ्ट के साथ अपने आवेदन के साथ आने से रोक दिया था, जिन्होंने कॉलेज में आवेदन करने के बारे में कुछ नहीं सोचा था। नोटिस दिनांक 23.09.2016 ने स्पष्ट रूप से उन सभी उम्मीदवारों को प्रतिबंधित कर दिया है जिन्होंने 09.09.2016 से पहले डिमांड ड्राफ्ट नहीं लिया था जो प्रवेश की अंतिम तिथि थी। वर्तमान मामले में कॉलेज ने अपीलकर्ताओं के डिमांड ड्राफ्ट का विवरण दाखिल किया था और यह विवादित नहीं था कि उन्होंने आवेदन की अंतिम तिथि से पहले लिए गए डिमांड ड्राफ्ट के साथ अपने आवेदन जमा किए थे। उच्च न्यायालय ने यह विचार किया कि चूंकि उन्होंने 09.09.2016 से पहले ऑनलाइन आवेदन नहीं किया था, इसलिए प्रवेश के हकदार नहीं थे और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आवश्यकता एक शर्त थी, जिसे पूरा नहीं करने पर , उनके आवेदन एएससी और द्वारा अस्वीकार कर दिए गए थे।उच्च कॉलेज में प्रवेश दिया गया था। इसमें कोई विवाद नहीं हो सकता है निर्धारित प्रक्रिया और केरल उच्च न्यायालय के 26.08.2016 के अंतरिम आदेश के अनुसार छात्रों को संबंधित कॉलेजों में प्रवेश आवेदन ऑनलाइन जमा करना था और प्रवेश एनईईटी परीक्षा में परिलक्षित योग्यता के आधार पर लिया जाना था।

22. सुनवाई के दौरान हमने प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील से बार बार पूछा था कि क्या एनईईटी परीक्षा में अपीलकर्ताओं से अधिक योग्यता रखने वाले किसी भी उम्मीदवार ने किसी प्रधिकारी के समक्ष कोई शिकायत प्रस्तुत की है या कोई विरोध किया है कि उसने आवेदन किया है कॉलेज ने अपीलकर्ताओं को उच्च रैंक प्राप्त की और प्रवेश से वंचित कर दिया गया। उत्तरदाता ऐसे किसी भी उम्मीदवार का विवरण नहीं बता सके जो कॉलेज द्वारा प्रकाशित सूची में शामिल था और जिनकी एनईईटी रैंक अपीलकर्ताओं से अधिक थी और जिसने प्रवेश न मिलने के संबंध में शिकायत उठाई थी। यह भी रिकार्ड में है कि वास्तव में प्रबंधन कोटा और एनआरआई कोटा में प्रवेश के बाद भी 8 सीटें नहीं भरी गई, जिन्हें कॉलेज ने सरकार को सौंप दिया था।

23. अभी भी रिक्त सीटों पर स्पॉट प्रवेश के लिए आमंत्रित आठ उम्मीदवारों के नामों का विवरण कॉलेज को भेजा गया, जिन्हें 07.10.2016 (विस्तारित तिथि के भीतर) पर प्रवेश दिया गया था। सरकार द्वारा किए गए

आवंटन के आधार पर प्रवेश पाने वाले 8 उम्मीदवारों का विवरण अनुलग्नक पी 7 में पाया गया है और उनके एनईईटी रैंक के साथ नामों का अवलोकन करने पर, अपीलकर्ताओं के बाद भर्ती किए गए उम्मीदवारों पारस्परिक रैंक स्पष्ट रूप से मिलती है। संकेत मिलता है कि चार उम्मीदवार एनईईटी रैंक में अपीलकर्ताओं से नीचे है। अपीलकर्ताओं से आवेदन प्राप्त करने के बाद और संतुष्ट होने के बाद कि उनके पास 09.09.2016 से पहले का डिमांड ड्राफ्ट था और उन्होंने अपने पंजीकरण के लिए असफल प्रयास किए थे, कॉलेज ने 27.09.2016 को उनके पास प्रकाशित किए , जो सूची रिकॉर्ड में भी है। एएससी,जिसे संपूर्ण प्रवेश प्रक्रिया की निगरानी और मार्गदर्शन करने का काम सौंपा गया है, दिनांक 22.09.2016 केा आदेश जारी कर कॉलेज से उन 7 उम्मीदवारों के नाम शामिल करने के लिए कहा, जिनके नाम पहले शामिल नहीं थे, कॉलेज ने उक्त लाभ और सुविधा अन्य उम्मीदवारों के लिए बढ़ा दी। प्रवेश की निर्धारित कट ऑफ तिथि से पहले लिए गए डिमांड ड्राफ्ट के साथ पंजीकरण के असफल प्रयासों के प्रमाण के साथ आएं। हम कॉलेज द्वारा दिनांक 23.09.2016 को प्रकाशित नोटिस में कोई दुर्भावनापूर्ण या कोई अप्रत्यक्ष उद्देश्य देखने में असमर्थ है। उन्हें 7 ऐसे उम्मीदवारों को शामिल करने का आदेश मिला जिनके नाम सूची में शामिल किए गए थे और समान स्थिति वाले अन्य लोगों को भी समान लाभ दिया गया था।

24. उच्च न्यायालय ने ऋषभ चैधरी बनाम भारत संघ और अन्य , (2017)3 एससीसी 652 में इस न्यायालय के फैसले का उल्लेख किया है। उच्च न्यायालय ने फैसले के पैराग्राफ 15 और 16 पर भरोसा किया है जो निम्नलिखित प्रभाव वाले हैः

''15, इस न्यायालय के समक्ष सवाल यह नहीं है कि वर्तमान स्थिति के लिए किसे दोषी ठहराया जाए – चाहे वह छात्र हो या कॉलेज या छतीसगढ़ राज्य। वास्तव में सवाल यह है कि कानून का शासन कायम रहना चाहिए या नहीं। हमारी राय में, उत्तर स्पष्ट रूप से सकारात्मक है। कॉलेज और छतीसगढ़ राज्य ने कानून का पालन नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप यचिकाकर्ता परिस्थितियों का शिकार बन गया, जिससे उसे कॉलेज के खिलाफ कार्यवाई करने का कारण मिल गया और छतीसगढ़ राज्य उनके कुप्रबंधन का शिकार हो गया। याचिकाकर्ता की दुर्दशा दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन इसकी मदद नहीं की जा सकती।

16. प्रस्तुतिकरण के दौरान हमें बताया गया कि कुछ समान रैंक वाले छात्रो ने एनईईटी में भाग लिया और परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। याचिकाकर्ता जैसे वे छात्र जिन्होंने एनईईटी में भाग नहीं लिया और केवल कॉलेज और छतीसगढ़ राज्य पर भरोसा किया, उन्होंने एक जुआ खेला और दुर्भाग्य से वह जुआ सफल नहीं हुआ। हालांकि हमारी सहानुभूति याचिकाकर्ता और इसी तरह के छात्रों के साथ है, हम केवल उनके लाभ के लिए इस न्यायालय द्वारा समय समय पर पारित आदेशो के विपरीत नहीं जा सकते।

25. ऋषभ चैधरी (उपयुक्त) का मामला उस उम्मीदवार का मामला था जिसे कॉलेज द्वारा आयोजित परीक्षा के आधार पर वर्ष 2016 –2017 में एमबीबीएस पाठयक्रम में प्रवेश दिया गया था। इस न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय में देखा कि इस न्यायालय ने पहले ही दिनांक 11.04.2016 को एक आदेश पारित कर दिया था, जिसमें क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज ,वेल्लोर और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य,(2014) 2 एससीसी में इस न्यायालय के दिनांक 18.07.2013 के फैसले को वापस ले लिया गया था। 305, 21.12.2010 को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जारी अधिसूचना में समीक्षा की गई कि परीक्षा नीट द्वारा आयोजित की जानी थी। ऋषभ चैधरी मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय ने संकल्प चैरिटेबल ट्रस्ट (उपयुक्त) में इस न्यायालय के दिनांक 06.05.2016 के आदेश पर भी गौर किया है, जहॉ इस न्यायालय ने निर्देश दिया है कि एमबीबीएस या बीडीएस अध्ययन में प्रवेश के लिए कोई परीक्षा आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोई भी प्राइवेट कॉलेज, अनुच्छेद 9 से 12 में निम्नलिखित कहा गया था।

''9 ,संकल्प चैरिटेबल ट्रस्ट के आदेष दिनांक 06.05.2016 द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया था कि किसी भी निजी कॉलेज या एसोसिएशन या किसी निजी/डीम्ड विश्वविधालय द्वारा एमबीबीएस की पढ़ाई में प्रवेश के लिए कोई परीक्षा आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

10. इसके बाद 09.05.2016 को इस न्यायालय ने आदेश दिनांक 28.04.2016 को संशोधित करने से इंकार कर दिया। एक आदेश भी पारित किया गया जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि ऐसे सभी उम्मीदवार जो एनईईटी । में उपस्थित नहीं हो सके और जो उपस्थित हुए थे लेकिन उन्हें आशंका थी कि उन्होंने अच्छी तैयारी नहीं की है। इन उम्मीदवारों को एनईईटी । के लिए अपनी उम्मीदवारी छोडने के विकल्प के अधीन एनईईटी ।। में उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी। यह आगे स्पष्ट किया गया कि केवल एनईईटी ही छात्रों को एमबीबीएस अध्ययन में प्रवेश पाने में सक्षम बनाएगा।

11. इस न्यायालय द्वारा समय समय पर पारित इन सभी आदेश के मद्देनजर , यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि अधिसूचना दिनांक 21.12.2010 पुनर्जीवित हो गई है और एमबीबीएस पाठयक्रम में प्रवेश केवल एनईईटी । और एनईईटी ।। के माध्यम से हो सकता है। प्रवेश की किसी अन्य प्रक्रिया की अनुमति नहीं थी। इस पृष्ठभूमि को देखते हुए ,छतीसगढ़ में चिकित्सा शिक्षा निदेशक ने 13.07.2016 को कॉलेज को प्रबंधन कोटा और एनआरआई कोटा के लिए छात्रों के लिए आयोजित परीक्षा सीजीमैट 2016 के संदर्भ में कॉलेज द्वारा किए गए सभी प्रवेशों को रद्द करने के लिए कदम उठाने को लिए लिखा था। आखिरकार दिनांक 28.07.2016 के एक पत्र द्वारा छतीसगढ़ में चिकित्सा निदेशक ने कॉलेज को एमबीबीएस पाठयक्रम में किए गए प्रवेश रद्द करने की सिफारिश की। इसने याचिकाकर्ता को इस न्यायालय में एक रिट याचिका दायर करने के लिए प्रेरित किया।

12. याचिकाकर्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है और प्रार्थना की गई है कि चूंकि उसे कॉलेज द्वारा सीजीमैट 2016 परीक्षा आयोजित करने और छतीसगढ़ राज्य द्वारा पर्यवेक्षण और निगरानी करने के बाद कॉलेज द्वारा पहले ही प्रवेश दे दिया गया था और जिसमें अनौचित्य के कोई आरोप नहीं थे, इसलिए उसका प्रवेश में बाधा नहीं होना चाहिए, यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता निश्चित रूप से गलती पर नहीं था और ऐसा कोई कारण नहीं है कि वह कॉलेज और छतीसगढ़ राज्य द्वारा की गई स्पष्ट गलती का शिकार हो।

26. उस मामले में तथ्यों की पृष्ठभूमि में पैराग्राफ 15 और 16 में टिप्पणियां की गई थी। वर्तमान में ऐसा कोइ मामला नहीं है जहां अपीलकर्ता एनईईटी परीक्षा में उपस्थित नहीं हुए या उन्हें एनईईटी में अन्य उम्मीदवारों की योग्यता की उपेक्षा करते हुए प्रवेश दिया गया। ऐसे किसी भी उम्मीदवार का कोई विवरण हमारे संज्ञान में नहीं लाया गया है जिसने अपीलकर्ताओं से उच्च रैंक या योग्यता हासिल की हो और उसे कॉलेज में प्रवेश नहीं दिया गया हो। यह सच हो सकता है कि एएससी के दिनांक 22.09.2016 के आदेश ने कॉलेज को स्पष्ट रूप से उन सभी उम्मीदवारों को आमत्रित करने की अनुमति नहीं दी,जिन्होंने पहले कॉलेज के योग्य उम्मीदवारों की सूची में शामिल होने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण के असफल प्रयास किए थे। लेकिन कॉलेज ने एएससी से शिकायत करने वाले 7 उम्मीदवारों के अलावा अन्य लोगो को ऐसा अवसर दिया है, कॉलेज की ऐसी कार्यवाई को दुर्भाग्यपूर्ण या अप्रत्यक्ष उद्देश्य नहीं कहा जा सकता है, खासकर जब समान स्थिति वाले उम्मीदवारों को योग्य उम्मीदवारों की सूची में शामिल किया गया था। उच्च न्यायालय ने उस महत्वपूर्ण शर्त पर ध्यान नहीं दिया जो कॉलेज द्वारा दिनांक 23.09.2016 के नोटिस में रखी गई थी कि जेा अभ्यर्थी यह दावा करते है कि उन्होंने ऑनलाईन पंजीकरण के लिए असफल प्रयास किए है और यह दिखाने के लिए सबूत के साथ आए कि उन्होंने तैयारी की थी शुल्क का डिमांड ड्राफ्ट जो प्रवेश की अंतिम तिथि से पहले की तारीख का हो। उपरोक्त सुरक्षा उन आवेदकों के लिए पर्याप्त थी जिन्होंने प्रवेश की अंतिम तिथि से पहले कॉलेज में प्रवेश के बारे में कभी नहीं सोचा था।

27. यह विवादित नहीं है कि अपीलकर्ताओं के पास कॉलेज के नाम पर डिमांड ड्राफ्ट का प्रमाण था जो प्रवेश की अंतिम तिथि से पहले का था। वर्तमान मामले के तथ्यों में जहॉ विश्यविधालय द्वारा 30.06.2016 को प्रवेश भी

अधिसूचित किया गया था और एएससी ने पहले बार 03.06.2016 को ही उनके प्रवेश को अस्वीकार कर दिया था और इसके अलावा उच्च न्यायालय द्वारा अपीलकर्ताओं को एमबीबीएस प्रथम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति भी दी गई थी। इस समय अन्तराल में, हम एएससी और उच्च न्यायालय द्वारा इंगित उपरोक्त कमियों के कारण अपीलकर्ताओं को कॉलेज से बाहर निकालने के इच्छुक नहीं है।

28. परिणामस्वरूप, हम उच्च न्यायालय के आदेश के साथ साथ प्रवेश पर्यवेक्षी समिति के आदेश को भी रद्द कर दिया। अपील स्वीकार की जाती है।

Akhilesh Kumar
Dist.& Addl. Sessions Judge – XVI, Dhanbad